साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली

फोन प्राचार्या : (0581) 3582193

RESERVATION RULES (UNIVERSITY)

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या –23 सन 2006) की धारा 4 के अधीन भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थानों जिसके अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षिक वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित स्तर पर आरक्षण की व्यस्था है : –

(क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए :प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 2 प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 27 प्रतिशत

रिट पिटीशन संख्या 2160 (एम0/ बी0)/ 2009 ऊषा एजुकेशनल इंस्टिट्यूट बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शक्षण संस्थानों में लागु किये जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश को अपास्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2– अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या– 23 सन 2006 की धारा 12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों /संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किए जाने का आदेश प्रदान करते हैं : –

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत

(ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत

(ग) शारीरिक रूप से निशक्तजनो के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत

(घ) महिलाओं के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

RESERVATION RULES (COLLEGE)

स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु प्रवेश सम्बन्धी नियम

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकारी वे ही छात्रायें होंगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकारी वे ही छात्रायें होंगी जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

1. एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु छात्राओं को विश्व विद्यालय की वेबसाइट **www.srmmbareilly.com** पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसकी हार्डकॉपी महाविद्यालय में निम्न प्रपत्रों के साथ जमा करनी होगी।

(i) एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के फार्म की छायाप्रति।

(ii) हाईस्कूल की अंकतालिका / प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(iii) इण्टर की अंकतालिका / प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(iv) अन्तराल (गैप) का स्वलिखित प्रमाणपत्र।

(v) आधारकार्ड की छायाप्रति।

(vi) जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(vii) आय प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(viii) भू. पू. सैनिक के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(ix) दिव्यागंता प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(x) खेलकूद प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(xi) एन. एस. एस. / स्काउट प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(xii) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(xiii) **EWS** प्रमाणपत्र (केवल सामान्य जाति के लिए) छायाप्रति।

2. पंजीकरण की अंतिम तिथि के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा तैयार की गयी मेरिट महाविद्यालय की वेबसाइट **www.srmmbareilly.com** पर एवं महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर अंकित की जायेगी।

I.Q.A.C.
Ramswaroop Mahila Mahavidyalaya
Bareilly

19. अनुसूचित जाति / जनजाति की छात्राएँ प्रवेश शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जो तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो, अवश्य संलग्न करे अन्यथा शुल्क मुक्ति देना सम्भव न होगा। यह नियम 'स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु मान्य है।

20. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए **75%** उपस्थिति अनिवार्य होगी।

21. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत किसी विषय में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित छात्राओं के **BACK PAPER** निम्नानुसार होंगे–

(i) प्रथम सेमेस्टर का तृतीय सेमेस्टर में।
(ii) द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ सेमेस्टर में।
(iii) तृतीय सेमेस्टर का पंचम सेमेस्टर में।
(iv) चतुर्थ सेमेस्टर का छठे सेमेस्टर में।
(v) पाँचवे एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा पृथक रूप से देनी होगी।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

✓ विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार विशिष्ट कारणों (गंभीर अस्वस्थता आदि) के आधार पर प्राचार्या द्वारा उपस्थिति में अधिक से अधिक 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है एवं माननीय कुलपति जी द्वारा प्राचार्या की संस्तुति पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।

✓ जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित खेलों में भाग लेते हैं उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से कक्षा में उपस्थिति दिये जाने की अनुमति है। एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी उपस्थिति दिये जाने का प्रावधान है।

Sahu Ramswaroop Mahila Mahavidyalaya
Bareilly

आरक्षण एवं भारांक सम्बन्धी नियम

शासन द्वारा जारी अधिसूचना में आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा

प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जायेगी। मेरिट सूची तैयार करने में उपलब्ध अधिभारों को जोड़ा जायेगा तथा सामान्य कटौती (यदि कोई हो तो) की जायेगी। इस समायोजन के उपरान्त जो इन्डेक्स प्राप्त होगा वही मेरिट का आधार होगा।

प्रवेश हेतु तैयार की जाने वाली मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे। (किसी भी स्थिति में छात्रा को 10 से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगें।)

1.	राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीय, विश्वविद्यालय खेलकूद में भागीदार खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
2.	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
3.	विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय के सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नि	10 अंक
4.	एन.सी.सी. के ''सी'' सर्टिफिकेट अथवा ''जी'' सर्टिफिकेट	10 अंक
5.	''बी'' और ''जी प्रथम'' सर्टिफिकेट के लिए	05 अंक
6.	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घण्टे की सेवायें	10 अंक
7.	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 / 140 घण्टे की सेवायें	05 अंक
8.	12वी स्तर तक स्का0 / गाइड सोपान तृतीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
9.	स्काउट गाइड में राज्य स्तर पर पुरस्कृत	10 अंक
10.	भारत के राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
11.	रोवर्स / रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोटः विश्वविद्यालयीय प्रवेश नियमों के तहत, अध्ययन के मध्य हुए अन्तराल के अनुसार मेरिट इन्डेक्स में कटौती की जाएगी।

Sahu Ramswaroop Mahila Mahavidyalaya
Bareilly